तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
26/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। ~~वकील वादी को~~ प्रतिवादी नं. 4 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वकील वादी के पैरवीकार पत्रावली पर बहस सुनी गयी। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। डिक्री बनायी जावे। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] [illegible], [illegible]

मन्बर व ...
जो इस हुक्म
में जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 163/2023

वादीगण :–

1. गोवाराम पुत्र करनाराम
   जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सावलाराम दत्तक पुत्र चापाराम
2. केतूदेवी पत्नी प्रभाराम
3. तिकमाराम पुत्र प्रभाराम
4. ध्र्माराम पुत्र मानाराम
5. पूनमाराम पुत्र प्रभाराम
6. मालाराम पुत्र कपूरा
7. सांवलाराम पुत्र करनाराम
   जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर
8. भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा गुडामालानी
9. भारतीय स्टेट बैंक आरपीएम शाखा गुडामालानी
10. द सेंन्ट्रल कोपरेटिव बैंक बाड़मेर शाखा गुडामालानी
11. पी.एन.बी. शाखा गुडामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा

उपस्थित :–

1. श्री गंगाराम चौधरी अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26/12/23

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एक ही खानदान से हैं, तथा हिन्दू विधि से शासित हैं, जो पूर्व पुरूष स्वर्गीय खिदाराम के उत्तराधिकारी हैं। जिनका खानदानी सजरा वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है:–

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

वंशवृक्ष

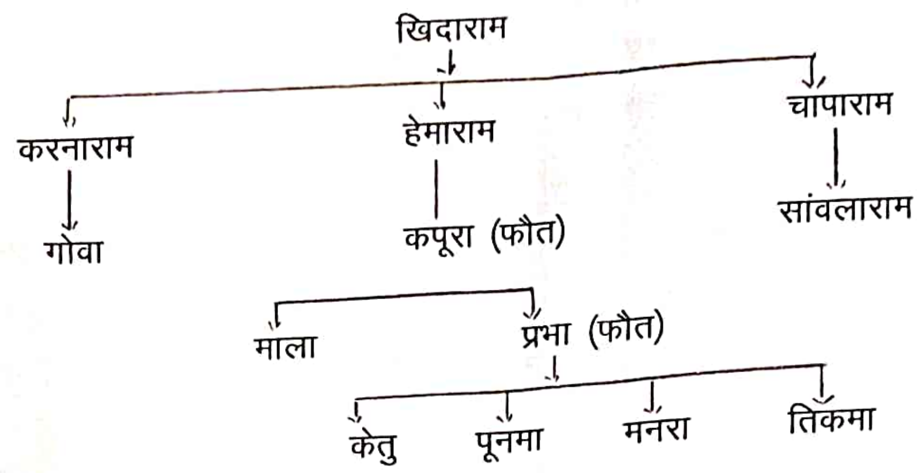

वादी का पैतृक संयुक्त कब्जा काश्त का खेत मौजा भोलागर नगर पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी में खेत खसरा नम्बर 259 रकबा 11.9949 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 5.7870 हैक्टेयर, ग्राम उकजी की ढाणी पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर में खेत खसरा नम्बर 561 रकबा 1.6187 हैक्टेयर का वक्त सैटलमेंन्ट का आया हुआ है। खेत खसरा नम्बर 259 रकबा 11.9949 हैक्टेयर मौजा भोलागर नगर भू–प्रबन्धन संवत् 2012 से 2031 वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के दादा व पडदादा के नाम से पर्चा व प्रथम जमाबन्दी में चापा करना के वारिसान का 2/3 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा व कपूरा के वारिसान का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 5.7870 हैक्टेयर ग्राम उकजी की ढाणी व ग्राम उकजी की ढाणी का खेत खसरा नम्बर 561 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में वर्तमान जमाबंदी के अनुसार हिस्सा गलत इन्द्राज किया गया है इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त खसरों में हिस्सा 1/2 व 1/2 होना चाहिये व प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5,6,7 का वक्त सैटलमेंन्ट से उक्त खसरा में खातेदारी का अधिर नहीं है इसलिये उक्त खसरों में नाम पृथक किया जाने व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी घोषित किये जाने हेतु उक्त वाद न्यायालय में लाना आवश्यक होने से खातेदारी घोषणा का पेश किया गया।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील होने के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत किया गया। वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील रामजीवन विश्नोई द्वारा बकालातनामा पेश करने हेतु अण्डर टेकिंग ली गई परन्तु आदिनांक तक बकालातनामा व किसी प्रकार का जबाव

आदि नहीं पेश किया गया। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील नारायण कुमावत व उम्मेदसिंह सोलंकी द्वारा बकालातनामा पेश किया तथा साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया गया। इसके पश्चात आगामी तीन पेशियों पर प्रतिवादी संख्या 4 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण संख्या 4 व उनके अधिवक्ता के लगातार 3 तारीख पेशियों तक उपस्थित नहीं रहने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पर वकील वादी की बहस सुनी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया।

वकील वादी ने वादी के वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं को उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाए गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदश–1 वर्तमान जमाबन्दी ग्राम लूणवा जागीर खसरा नम्बर 561 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, प्रदर्श–2 वर्तमान जमाबन्दी ग्रामउकजी की ढाणी खसरा नम्बर 26 रकबा 5.7870 हैक्टेयर, प्रदर्श–3 ग्राम भोलागर नगर खसरा नम्बर 259 रकबा 11.9949 हैक्टेयर, प्रदर्श–4 खतौनी बन्दोवस्त, प्रदर्श–5 खसरा नक्शा खसरा नम्बर 561, प्रदर्श–6 चापाराम पुत्र खिन्दाराम द्वारा सांवलाराम पुत्र करनाराम को गोद लेने का गोदनामा शपथ–पत्र की प्रति, प्रदर्श–7 खसरा नम्बर 26 का खसरा नक्शा, प्रदर्श–8 खसरा नम्बर 259 का खसरा नक्शा प्रस्तुत किये गये।

हमने वकील वादी की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा खीदाराम का देहान्त हुआ तब वादी के पिता करनाराम व प्रतिवादी के पिता चोपाराम के नाम से वक्त सेटलमेंन्ट से नामान्तरण इन्द्राज है उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरासत में फौतगी का नामान्तरण सावला दत्तक पुत्र चोपा के नाम से खोला गया तथा शेष प्रतिवादीगण 2,3,7 कपूरा के वारिसान है तथा खसरा संख्या 26 उकजी की ढाणी व खसरा संख्या संख्या 561 ग्राम लूणवा जागीर वक्त सेटलमेंन्ट में करना व चापा के नाम से अमलदरामद है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6,7 के खेत खसरा संख्या 26 एवं ग्राम उकजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 561 लूणवा जागीर में से नाम पृथम किया जावे व प्रतिवादी संख्या 4 धर्मा पुत्र माना का नाम पृथक किया जावे तथा उक्त खसरों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा की जावे। तथा उक्त खसरे प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6,7 का नाम पृथक किया

न्यायिक सदस्य, [illegible]

जावे व खेत खसरा नम्बर 26 ग्राम उकजी की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 1 व 8 एक ही व्यक्ति है जो प्राकृतिक पिता की भूमि खेत खसरा संख्या 26 ग्राम उकजी की ढाणी में उसके स्थान पर सावला पुत्र करना के हिस्से की भूमि पर वादी का अधिकार है इसलिये वादी के नाम की खातेदारी में घोषित की जावे। उक्त खसरों में सावला दत्तक पुत्र चोपा का 1/2 हिस्से का अधिकर है, वर्तमान के राजस्व रेकर्ड में हिस्सा गलत दर्ज है। अतः ग्राम भोलागर नगर के खसरा नम्बर 259 रकबा 11.9949 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 2,3,5,6,7 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 विधिक वारिस नहीं होने से नाम पृथक किया जावे। खेत खसरा संख्या 26 रकबा 5.7870 हैक्टेयर मौजा उकजी की ढाणी व खेत खसरा नम्बर 561 रकबा 1.6187 हैक्टेयर मौजा लूणवा जागीर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्से के विधिक अधिकारी होने से खातेदारी में घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6,7 विधिक वारिसान नहीं होने से उक्त खसरा में से इनका नाम हटाया जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 खतौनी बन्दोवस्त के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वक्त सैटलमेंन्ट उक्त विवादि आराजी खेत खसरा नम्बर 259 चोपा, करना पि0 खीदा 2/3, कपूरा वल्द हेमा 1/3 के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार इस खसरा संख्या 259 की भूमि में चोपा, करना, कपूरा के वारिसान का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा पैतृक हकों का है। तथा खसरा नम्बर 26 व 561 की भूमि चोपा व करना पि0 खीदा के नाम दर्ज होने से इस खसरा नम्बर 26 व 561 की भूमि में चोपा व करना के वारिसान का 1/2–1/2 हक हिस्सा है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 सांवलाराम करनाराम का पुत्र है जो सांवलाराम के गोद जाने से चांपा के हिस्से में आने वाली भूमि ही प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये करनाराम के हिस्से में आने वाली भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सांवलाराम दत्तक पुत्र चापाराम का कोई खातेदारी हक व हिस्सा नहीं रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–6 गोदनामा से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रतिवादी संख्या 1 सांवलाराम चापाराम पुत्र खिन्दाराम का दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 सांवलाराम की फौतगी पर सांवलाराम दत्तक पुत्र चापाराम भरा जाना था, परन्तु चांपा के फौतगी के नामान्तरण संख्या 206 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि उक्त नामान्तरकरण चांपा लाऔलाद फौत होने से उनके सगे भाईयों करना वगैरा के नाम से भरा गया तथा धर्मा पुत्र माना व कपूरा पुत्र

हेमा का नाम भी उक्त नामान्तरण में अंकित कर स्वीकृत किया गया अर्थात उक्त नामान्तरकरण संख्या 206 धर्मा पुत्र माना कपूरा पुत्र हमा करना पुत्र खीदा 2/3 कपूरा पुत्र हेमा 1/3 के नाम दर्ज किया गया। जबकि चांपा की फौतगी पर चापा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 सांवलाराम दत्तक पुत्र चापाराम का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः उपरोक्तानुसार वादी खातेदारी हकों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम भोलागर नगर के खेत खसरा नम्बर 259 रकबा 11.9949 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6,7 का 1/3 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम उकजी की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 5.7870 हैक्टेयर एवं ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा नम्बर 561 रकबा 1.6187 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6,7 का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुडामालानी

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुडामालानी